(514)

बिहार सरकार

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

पत्रांक-प्र0-3-विविध-नि0-62/2010 4017 /खाद्य,पटना/दिनांक 23.7.10

प्रेषक,

त्रिपुरारि शरण
प्रधान सचिव ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी ।

विषय :- जिलों में उपलब्ध विभिन्न विकास योजनाओं की राशि से गोदाम-निर्माण के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में विभागीय पत्रांक 3052 दिनांक 04.08.09 का स्मरण किया जाय । उक्त के द्वारा राज्य में लक्षित जन वितरण प्रणाली के अन्तर्गत खाद्यान्न के समुचित भंडारण तथा उठाव एवं वितरण के साथ-साथ अधिप्राप्ति कार्यक्रम के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु भंडारण क्षमता में वृद्धि की आवश्यकता की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए जिलों में उपलब्ध विभिन्न विकास योजनाओं की राशि से गोदामों के निर्माण की दिशा में कार्रवाई हेतु आपसे अनुरोध किया गया था । इस संदर्भ में आपके स्तर से की गई कार्रवाई की सूचना अब तक अप्राप्त है ।

उल्लेखनीय है कि लक्षित जन वितरण प्रणाली के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के तहत खाद्यान्न का उठाव एवं वितरण प्रखंड स्तर पर किया जाता है । बाढ़, सुखाड़ एवं अन्य प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में राहत कार्यों के अन्तर्गत प्रखंड स्तर पर खाद्यान्न के वितरण की आवश्यकता होती है । प्रखंड स्तर पर समुचित भंडारण क्षमता के अभाव के कारण उपर्युक्त स्थितियों में योजनाओं के कार्यान्वयन एवं राहत कार्यों के प्रभावी संचालन में कठिनाईयॉ उत्पन्न होती हैं ।

आपको ज्ञात है कि जहानाबाद जिले के तीन प्रखंडों में जिला में उपलब्ध विकास योजना द्वारा गोदाम का निर्माण कराया गया है । जिलों में बी0आर0जी0एफ0 एवं अष्टम वित्त योजनाओं में उपलब्ध राशि का उपयोग भंडारण क्षमता में वृद्धि की दिशा में कर लक्षित जन वितरण प्रणाली एवं अधिप्राप्ति कार्यक्रम को सफल बनाया जा सकता है ।साथ ही बाढ़, सुखाड़ एवं अन्य प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में राहत कार्यों के समुचित एवं प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित किया जा सकता है ।

अतएव अनुरोध है कि अविलम्ब इस संदर्भ में जिला स्तर पर योजना तैयार कर इसके कार्यान्वयन हेतु कार्रवाई की जाय एवं कृत कार्रवाई से अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराया जाय ।

विश्वासभाजन,
23/7/2010
प्रधान सचिव ।

ज्ञापांक-प्र0-3-विविध-नि0-62/2010 4017 /खाद्य,पटना/दिनांक 23.7.10

प्रतिलिपि - प्रधान सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना/सभी प्रमंडलीय आयुक्त को सूचनाथ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

23/7/2010
प्रधान सचिव ।